IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 4, June 2024

"लोक अदालत : निःशुल्क निर्णयों की प्रासंगिकता"

डॉ. सविता मिश्रा
एम.आई.जी. डी.–22, शान्ती बिहार कालोनी, पड़रा, रीवा (म.प्र.)

शोध सारांश :–प्रस्तुत शोध पत्र में संपत्ति अधिग्रहण, वित्तीय विवाद और वैवाहिक मुद्दों जैसे पारिवारिक विवादों का लोक अदालतों द्वारा व्यापक और प्रभावी ढंग से समाधान किया जाता है। लोक अदालतों के माध्यम से न्यायालय के बाहर विवादों का सुलह–समझौते से निपटारा करना है। इसे जन अदालत भी कहा जाता है। यह निष्पक्ष और सरल न्याय प्रदान करती है। इन्हीं बिन्दुओं को विस्तार से स्पष्ट करने का प्रयास है।

मुख्य शब्द :– लोक अदालत, शीघ्रतापूर्वक, निःशुल्क, सौहार्दपूर्ण, ढंग, निर्णय न्यायालय, सुलह, समझौते, निपटारा आदि।

प्रस्तावना :–

विधिक सेवा संस्थानों के साथ मिलकर लोक अदालतों का आयोजन करता है। लोक अदालत वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों में से एक है, यह एक ऐसा मंच है जहाँ कानून की अदालत में या मुकदमे–पूर्व चरण में लंबित विवादों/मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा/समझौता किया जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा दिया गया है। उक्त अधिनियम के तहत, लोक अदालतों द्वारा दिया गया पुरस्कार (निर्णय) एक सिविल न्यायालय का आदेश माना जाता है और यह अंतिम होता है तथा सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है और ऐसे पुरस्कार के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। यदि पक्षकार लोक अदालत के पुरस्कार से संतुष्ट नहीं हैं, यद्यपि ऐसे पुरस्कार के विरुद्ध अपील का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन वे अपने मुकदमा करने के अधिकार का प्रयोग करते हुए आवश्यक प्रक्रिया का पालन करके मामला दर्ज करके उचित अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय में मुकदमा शुरू करने के लिए स्वतंत्र हैं।

लोक अदालत में मामला दायर करने पर कोई न्यायालय शुल्क देय नहीं होता है। यदि न्यायालय में लंबित कोई मामला लोक अदालत को भेजा जाता है और बाद में निपटाया जाता है, तो शिकायत/याचिका पर न्यायालय में मूल रूप से भुगतान की गई न्यायालय शुल्क भी पक्षकारों को वापस कर दी जाती है। लोक अदालतों में मामलों का निर्णय करने वाले व्यक्तियों को लोक अदालतों के सदस्य कहा जाता है, उनकी भूमिका केवल वैधानिक मध्यस्थ की होती है और उनकी कोई न्यायिक भूमिका नहीं होती है; इसलिए वे केवल लोक अदालत में न्यायालय के बाहर विवाद को निपटाने के लिए पक्षों को किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए राजी कर सकते हैं और किसी भी पक्षकार पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले या मामले को समझौता करने या निपटाने के लिए दबाव नहीं डालेंगे या मजबूर नहीं करेंगे। लोक अदालत अपने स्वयं के अनुरोध पर संदर्भित मामले का निर्णय नहीं करेगी, बल्कि पक्षों के बीच समझौते या समाधान के आधार पर उसका निर्णय किया जाएगा। सदस्य स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से पक्षों को उनके विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुंचने के उनके प्रयास में सहायता करेंगे।

लोक अदालत में भेजे जाने वाले मामलों की प्रकृति –

1. किसी भी न्यायालय में लंबित कोई मामला।

Copyright to IJARSCT
www.ijarsct.co.in
DOI: 10.48175/IJARSCT-19085

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 4, June 2024

2. कोई विवाद जो किसी न्यायालय के समक्ष नहीं लाया गया हो तथा न्यायालय के समक्ष दायर होने की संभावना हो। बशर्ते कि कानून के तहत समझौता योग्य न होने वाले अपराध से संबंधित कोई मामला लोक अदालत में नहीं निपटाया जाएगा।

अधिनियम की धारा 18(1) के अनुसार, लोक अदालत को निम्नलिखित के संबंध में किसी विवाद में पक्षों के बीच समझौता या निपटारा निर्धारित करने और उस पर पहुंचने का क्षेत्राधिकार होगा –

(1) पहले से लंबित कोई मामला; या

(2) कोई मामला जो किसी ऐसे न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता हो तथा उसके समक्ष नहीं लाया गया हो जिसके लिए लोक अदालत आयोजित की गई हो।

बशर्ते कि लोक अदालत को तलाक से संबंधित मामलों या किसी कानून के तहत समझौता योग्य न होने वाले अपराध से संबंधित मामलों के संबंध में कोई अधिकारिता नहीं होगी।

निपटारे के लिए मामले को लोक अदालत में कैसे भेजा जाए

(ए) मामला न्यायालय में लंबित है।

(बी) मुकदमे–पूर्व चरण में कोई विवाद।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, मुकदमे–पूर्व चरण में किसी भी एक पक्ष से आवेदन प्राप्त होने पर, विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए ऐसे मामले को लोक अदालत को संदर्भित कर सकता है, जिसके लिए तत्पश्चात दूसरे पक्ष को नोटिस जारी किया जाएगा।

लोक अदालतों का स्तर और संरचना–

राज्य प्राधिकरण स्तर पर –लोक अदालत का आयोजन करने वाले राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव लोक अदालत की पीठों का गठन करेंगे, जिनमें से प्रत्येक पीठ में उच्च न्यायालय का एक कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश या एक कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी और निम्न में से कोई एक या दोनों शामिल होंगे – विधिक पेशे से एक सदस्य; कमजोर वर्गों के उत्थान में लगे एक सामाजिक कार्यकर्ता और विधिक सेवा योजनाओं या कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में रुचि रखने वाला एक सदस्य।

उच्च न्यायालय स्तर पर –उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव लोक अदालत की पीठों का गठन करेंगे, जिनमें से प्रत्येक पीठ में उच्च न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश तथा निम्न में से कोई एक या दोनों सदस्य होंगे – विधिक पेशे से एक सदस्य; कमजोर वर्गों के उत्थान में लगे एक सामाजिक कार्यकर्ता तथा विधिक सेवा योजनाओं या कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में रुचि रखने वाला एक सदस्य।

जिला स्तर पर –लोक अदालत का आयोजन करने वाले जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव लोक अदालत की पीठों का गठन करेंगे, जिनमें से प्रत्येक पीठ में एक कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी तथा विधिक पेशे से कोई एक या दोनों सदस्य होंगे; तथा/या कमजोर वर्गों के उत्थान में लगे हुए तथा विधिक सेवा योजनाओं या कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में रुचि रखने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता या क्षेत्र की अर्ध–विधिक गतिविधियों में लगे हुए व्यक्ति, अधिमानतः एक महिला शामिल होगी।

तालुका स्तर पर –लोक अदालत का आयोजन करने वाली तालुक विधिक सेवा समिति के सचिव लोक अदालत की पीठों का गठन करेंगे, जिनमें से प्रत्येक पीठ में एक कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी तथा विधिक पेशे से कोई एक या दोनों सदस्य होंगे; तथा/या कमजोर वर्गों के उत्थान में लगे हुए तथा विधिक सेवा योजनाओं या कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में रुचि

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 4, June 2024

रखने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता या क्षेत्र की अर्ध–विधिक गतिविधियों में लगे हुए व्यक्ति, अधिमानतः एक महिला शामिल होगी।

राष्ट्रीय लोक अदालत :–राष्ट्रीय स्तर पर नियमित अंतराल पर लोक अदालतें आयोजित की जाती हैं, जहाँ एक ही दिन में पूरे देश में सर्वोच्च न्यायालय से लेकर तालुक स्तर तक की सभी अदालतों में लोक अदालतें आयोजित की जाती हैं, जहाँ बड़ी संख्या में मामलों का निपटारा किया जाता है। फरवरी 2015 से, हर महीने एक विशिष्ट विषय पर राष्ट्रीय लोक अदालतें आयोजित की जा रही हैं।

स्थायी लोक अदालत :–लोक अदालत का दूसरा प्रकार स्थायी लोक अदालत है, जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22–बी के अंतर्गत आयोजित की जाती है। स्थायी लोक अदालतों की स्थापना एक अध्यक्ष और दो सदस्यों वाली स्थायी संस्थाओं के रूप में की गई है, जो परिवहन, डाक, टेलीग्राफ आदि सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित मामलों के सुलह और निपटारे के लिए अनिवार्य पूर्व–मुकदमेबाजी तंत्र प्रदान करती हैं। यहां, भले ही पक्षकार किसी समझौते पर पहुंचने में विफल रहते हैं, स्थायी लोक अदालत को विवाद का फैसला करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है, बशर्ते विवाद किसी अपराध से संबंधित न हो। इसके अलावा, स्थायी लोक अदालत का पुरस्कार अंतिम होता है और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है। स्थायी लोक अदालतों का क्षेत्राधिकार दस लाख रुपये तक है। यहां यदि पक्षकार किसी समझौते पर पहुंचने में विफल रहते हैं, तो स्थायी लोक अदालत के पास मामले का फैसला करने का क्षेत्राधिकार है। लोक अदालत मामले की परिस्थितियों, मौखिक बयानों को सुनने के अनुरोध, विवाद का शीघ्र निपटारा आदि पक्षों की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही को उस तरीके से संचालित कर सकती है, जैसा वह उचित समझे।

देश के विभिन्न भागों में मोबाइल लोक अदालतें भी आयोजित की जाती हैं, जो विवादों को सुलझाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं, ताकि इस तंत्र के माध्यम से विवादों का समाधान सुगम बनाया जा सके।

30.09.2015 तक, इसकी स्थापना के बाद से देश में 15.14 लाख से अधिक लोक अदालतें आयोजित की जा चुकी हैं। इस व्यवस्था के माध्यम से अब तक 8.25 करोड़ से अधिक मामलों का निपटारा किया जा चुका है।

लोक अदालत वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों में से एक है, यह एक ऐसा मंच है जहां कानून की अदालत में या मुकदमेबाजी से पहले के स्तर पर लंबित विवादों/मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा/समझौता किया जाता है। लोक अदालतों को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया है। उक्त अधिनियम के तहत, लोक अदालतों द्वारा दिए गए निर्णय (निर्णय) को दीवानी अदालत का आदेश माना जाता है और यह सभी पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी है और इस तरह के निर्णय के खिलाफ किसी भी अदालत के समक्ष कोई अपील नहीं की जाती है।

यदि पक्षकार लोक अदालत के अधिनिर्णय से संतुष्ट नहीं हैं, यद्यपि ऐसे अधिनिर्णय के विरुद्ध अपील का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन वे मुकदमे के अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए आवश्यक प्रक्रिया का पालन करते हुए मामला दायर करके उचित अधिकार क्षेत्र की अदालत में जाकर मुकदमा शुरू करने के लिए स्वतंत्र हैं।

जब कोई मामला लोक अदालत में दायर किया जाता है तो कोई अदालत शुल्क देय नहीं होता है। यदि न्यायालय में लंबित किसी मामले को लोक अदालत को भेजा जाता है और बाद में उसका निपटारा किया जाता है, तो शिकायतों/याचिकाओं पर न्यायालय में मूल रूप से भुगतान की गई न्यायालय फीस भी पक्षों को वापस कर दी जाती है। लोक अदालतों में मामलों का निर्णय करने वाले व्यक्तियों को लोक अदालतों के सदस्य कहा जाता है, उनकी भूमिका केवल वैधानिक सुलहकर्ताओं की होती है और उनकी कोई न्यायिक भूमिका नहीं होती है; इसलिए वे केवल लोक अदालत में अदालत के बाहर विवाद को निपटाने के लिए

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 4, June 2024

पक्षों को किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए राजी कर सकते हैं और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामलों या मामलों को निपटाने के लिए किसी भी पक्ष पर दबाव या दबाव नहीं डालेंगे।

लोक अदालत इस प्रकार निर्दिष्ट मामले का निर्णय अपने निर्देश पर नहीं करेगी, इसके बजाय इसका निर्णय पक्षों के बीच समझौते या समझौते के आधार पर किया जाएगा। सदस्य पक्षकारों को उनके विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुँचने के प्रयास में स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से सहायता करेंगे। लोक अदालत न्याय वितरण की एक प्रणाली है जो लोगों को सस्ते और त्वरित न्याय देने की समस्या से निपटने के लिए अस्तित्व में आई है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि लोक अदालत का अर्थ है लोगों का दरबार। लोक का अर्थ है लोग और अदालत का अर्थ है अदालत।

प्रकृति और क्षेत्रः आम तौर पर, लोक अदालत अपने स्वीकृत अर्थ में एक अदालत नहीं है। लोक अदालत और विधि अदालत के बीच अंतर यह है कि विधि अदालत अपने परिसर में स्थापित होती है जहाँ वादी अपने वकीलों के साथ आते हैं और गवाह लोगों को उनके दरवाजे पर न्याय देने के लिए जाते हैं। यह स्वयं लोगों द्वारा या सामाजिक गतिविधियों या सामाजिक कार्यकर्ता कानूनी सहायकों और जीवन के हर क्षेत्र से संबंधित जन उत्साही लोगों सहित इच्छुक दलों द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक मंच है। यह केवल एक दृढ़ मंच है जो आम लोगों को राज्य की एजेंसियों या अन्य नागरिकों के खिलाफ अपनी शिकायतों को व्यक्त करने और यदि संभव हो तो न्यायसंगत समाधान की मांग करने में सक्षम बनाने के लिए लोगों द्वारा स्वयं प्रदान किया जाता है।

लोक अदालत के पीछे मूल दर्शन चर्चा, परामर्श, अनुनय और सुलह द्वारा लोगों के विवाद को हल करना है ताकि यह त्वरित और सस्ता न्याय, पक्षों की आपसी और स्वतंत्र सहमति प्रदान कर सके। संक्षेप में यह एक पक्ष का न्याय है जिसमें लोग और न्यायाधीश भाग लेते हैं और चर्चा, अनुनय और आपसी सहमति से अपने विवादों का समाधान करते हैं। लोक अदालत में मामलों के प्रकारः आम तौर पर जिन मामलों से निपटा जाता है, वे निम्नानुसार हैंः

1. भूमि मामलों का उत्परिवर्तन।
2. चक्रवृद्धि आपराधिक अपराध।
3. पारिवारिक कलह।
4. वन भूमि पर अतिक्रमण।
5. भूमि अधिग्रहण विवाद।
6. मोटर दुर्घटना दावा, और
7. ऐसे मामले जो न्यायालय में विचाराधीन न हों।

लोक अदालत के संसाधन और उपलब्धिः

लोक अदालत बदले में केवल संकटग्रस्त लोगों से कृतज्ञता की उम्मीद कर सकती है। उन्हें सामाजिक न्याय के लिए समय देना चाहिए और इसकी सफलता के लिए अपनी सेवा समर्पित करनी चाहिए। लोक अदालतें आम तौर पर अदालतों के परिसरों में आयोजित की जाती हैं। लोक अदालत उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों को स्थापित करने के लिए वास्तविक अच्छे विकल्प के रूप में काम कर सकती है। जिला स्तर पर लोक अदालत को मिल रही प्रतिक्रिया से उत्साहित होकर, राज्य कानूनी सहायता बोर्डों ने उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों के लिए लोक अदालतों का आयोजन करना शुरू कर दिया है।

उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों के लिए भी लोक अदालत का आयोजन किया गया है। लोक अदालतों को न्याय के लोगों के त्योहारों के रूप में जाना जाता है क्योंकि बस्तियां हमेशा कानूनी सिद्धांतों के अनुसार नहीं होती हैं। विवादों को समाप्त करने जैसे सामाजिक लक्ष्य, पारिवारिक शांति बहाल करना एवं निराश्रितों के लिए सहायता प्रदान करना।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 4, June 2024

लोक अदालत का संगठन (Sec-18)

1. राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण या उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति या जैसा भी मामला हो; तहसील कानूनी सेवा समिति ऐसे अंतरालों और स्थानों पर और ऐसे अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए और ऐसे क्षेत्रों के लिए लोक अदालत का आयोजन कर सकती है जो वह उचित समझती है।

2. किसी क्षेत्र के लिए आयोजित प्रत्येक लोक–अदालत में ऐसी संख्या में लोग शामिल होंगे; (क) न्यायिक अधिकारी के रूप में सेवारत या सेवानिवृत्त, और

(ख) क्षेत्र का अन्य व्यक्ति जो राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण या उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति द्वारा निर्दिष्ट किया जाए।

लोक–अदालत द्वारा मामलों का संज्ञान (Sec- 19)

1. जहां उपधारा के खंड (1) में निर्दिष्ट कोई मामला हो। (4) से क। 18 प) (क) उसके पक्षकार सहमत हैं; या (ख) वहां के पक्षकारों में से एक पक्षकार मामले को निपटारे के लिए लोक अदालत को भेजने के लिए न्यायालय में आवेदन करता है और यदि ऐसा न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट करता है कि ऐसे निपटारे की संभावना है, या (ख) न्यायालय संतुष्ट है कि मामला लोक अदालत द्वारा संज्ञान लेने के लिए उपयुक्त है; न्यायालय मामले को लोक अदालत को भेजेगा। बशर्ते कि कोई भी मामला उपखंड (ख) खंड के तहत लोक–अदालत को नहीं भेजा जाएगा; 2. पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद ऐसे न्यायालय द्वारा।

3. उप–धारा के अधीन लोक अदालत का आयोजन करने वाले प्राधिकारी या समिति को तत्काल प्रभाव से लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित नहीं होना चाहिए। (1) सेक। 18 उपधारा के खंड (ज) में निर्दिष्ट किसी मामले में पक्षकारों में से किसी से आवेदन की प्राप्ति पर। (4) सेक। 18, कि ऐसे मामले को निर्धारण के लिए लोक अदालत द्वारा निर्धारित करने की आवश्यकता है। बशर्ते कि कोई भी मामला दूसरे पक्ष को सुनने का उचित अवसर दिए जाने के अलावा लोक–अदालत को नहीं भेजा जाएगा।

4. जब किसी मामले को उप–धारा के तहत लोक अदालत में भेजा जाता है। (1) या जहां उपधारा के अधीन उसका निर्देश किया गया है। (2) लोक अदालत मामले या मामले के मामले का निपटारा करने के लिए आगे बढ़ेगी और पक्षों के बीच समझौते या समझौते पर पहुंचेगी।

5. प्रत्येक लोक अदालत, इस अधिनियम के तहत उसके समक्ष किसी भी संदर्भ का निर्धारण करते समय, पक्षों के बीच समझौते या समझौते पर पहुंचने के लिए अधिकतम अभियान के लिए कार्य करेगी और न्याय, समानता, निष्पक्षता और अन्य कानूनी सिद्धांतों के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगी।

6. जहां लोक अदालत द्वारा इस आधार पर कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता है कि पक्षों के बीच कोई समझौता या समझौता नहीं किया जा सकता है, तो मामले का रिकॉर्ड उसके द्वारा उस अदालत को वापस कर दिया जाएगा, जिसके द्वारा उप–धारा के तहत संदर्भ प्राप्त किया गया है। (1) कानून के अनुसार निपटान के लिए।

7. जहां लोक अदालत द्वारा इस आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया जाता है कि उपधारा के तहत उसे निर्दिष्ट मामले में पक्षों के बीच कोई समझौता या समझौता नहीं किया जा सकता है। (2) सेक। 18 कि लोक अदालत उपधारा में निर्दिष्ट मामले में पक्षकारों को सलाह देगी। (2) कि लोक अदालत पक्षकारों को न्यायालय में उपचार लेने की सलाह देगी।

8. जहां मामले का रिकॉर्ड उप–धारा के तहत वापस किया जाता है। (5) न्यायालय को, ऐसा न्यायालय उस स्तर से ऐसे मामलों से निपटने के लिए आगे बढ़ेगा जो उपधारा के तहत ऐसे संदर्भ से पहले पहुंचा था। (1).

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 4, June 2024

लोक–अदालतों की प्रक्रिया (Sec- 20)

1. लोक अदालतों का आयोजन आम तौर पर राज्य कानूनी सहायता और सलाह बोर्डों या जिला कानूनी सहायता समितियों आदि द्वारा किया जाता है।

2. लोक अदालतों को किसी विवाद के संबंध में पक्षों के बीच समझौता या समझौता करने और उस पर पहुंचने का अधिकार क्षेत्र होगा; (क) न्यायालय के समक्ष लंबित कोई मामला; या (ख) कोई भी मामला जो किसी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है और उसके समक्ष नहीं लाया जाता है जिसके लिए लोक अदालत आयोजित की जाती है। लोक अदालत के पास किसी ऐसे अपराध से संबंधित किसी भी मामले या मामले के संबंध में अधिकार क्षेत्र नहीं होगा जो किसी कानून के तहत शमनीय नहीं है।

3. लोक अदालत आयोजित करने की तारीख और स्थान कानूनी सहायता बोर्ड द्वारा लगभग एक महीने पहले तय किया जाता है। इस तरह तय की गई तारीख आम तौर पर शनिवार या रविवार या किसी अन्य छुट्टी की होती है।

4. लोक अदालत के आयोजन के बारे में सूचना प्रेस, पोस्टर, रेडियो, टीवी आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाता है।

5. लोक–अदालत के आयोजन से पहले, इसके आयोजक विभिन्न स्थानीय अदालतों के पीठासीन अधिकारियों से अनुरोध करते हैं कि वे अपनी अदालतों में लंबित मामलों की जांच करें, जहां उनकी राय में सुलह संभव है। एक बार मामलों की पहचान हो जाने के बाद, विवाद के पक्षों को लोक अदालतों के न्यायाधीशों द्वारा लोक अदालत के माध्यम से अपने मामलों को निपटाने के लिए प्रेरित किया जाता है।

6. आम तौर पर, वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों को लोक अदालत का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

7. लोक अदालत की टीम में आम तौर पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश, वरिष्ठ स्थानीय अधिकारी, बार के सदस्य, उत्साही लोक–पुरुष, सक्रिय महिला सामाजिक कार्यकर्ता, इलाके के बुजुर्ग और स्वैच्छिक सामाजिक संगठन शामिल होते हैं। लोक अदालत के सदस्यों को सुलहकर्ता कहा जाता है। सुलहकर्ताओं की संख्या आमतौर पर तीन होती है।

8. यदि सुलह के परिणामस्वरूप किसी विवाद का समाधान होता है, तो एक समझौता विलेख तैयार किया जाता है और विवादों के पक्षों और उनके अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर प्राप्त करने के बाद, इसे सक्षम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है जो आम तौर पर उस स्थान पर उपस्थित होता है जहां लोक अदालत आयोजित की जाती है।

9. न्यायाधीश (पीठासीन अधिकारी) समझौते की निष्पक्षता और वैधता की जांच करने और खुद को संतुष्ट करने के बाद कि समझौता पक्षों की स्वतंत्र इच्छा और आपसी सहमति से किया गया है, एक डिक्री पारित करता है।

लोक–अदालत का पुरस्कार (Sec- 21)

1. लोक अदालत के प्रत्येक अधिनिर्णय को सिविल न्यायालय की डिक्री या जैसा भी मामला हो, किसी अन्य न्यायालय का आदेश माना जाएगा और जहां कोई समझौता या समझौता किया गया है, लोक अदालत द्वारा धारा 1 के तहत निर्दिष्ट मामले में। 20 (1) ऐसे मामले में संदत्त न्यायालय फीस न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 के अधीन उपबंधित रीति से प्रतिदाय की जाएगी।

2. लोक अदालत द्वारा दिया गया फैसला भी विवाद के सभी पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा और फैसले के खिलाफ किसी भी अदालत में कोई अपील नहीं की जाएगी।

लोक अदालत के कार्यः

लोक अदालत केवल ऐसे मामलों को स्वीकार कर सकती है जो निपटान के लिए उनकी क्षमता और क्षमता के भीतर आते हैं। लोक–अदालतों के आयोजन की दिशा में आंदोलन कुछ चुनिंदा मामलों के संबंध में अस्तित्व में आया। अपने सभी प्रारंभिक कार्यों में वे मोटर वाहन दुर्घटना के कारणों और उनसे जुड़ी अपीलों का मनोरंजन करते थे। यह उम्मीद की जाती है

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 4, June 2024

कि लोक अदालतें अन्य कारणों को भी स्वीकार करेंगी, जिनमें कार्यकाल के मामले, धन के मामले शामिल हैं, ताकि इस तरह के विवादों का निपटारा व्यक्तिगत बांड या अंडर टेकिंग पर किया जा सके।

यह इस तथ्य का संकेत होगा कि विवादों के समाधान के मामलों में, भारत अपने पारंपरिक तरीकों पर वापस आ गया है। लेकिन फिर भी अनुभव से पता चला है कि पक्षों को बातचीत की मेज पर विवाद के लिए लाना और उन्हें किसी प्रकार के समझौते के तहत समझौता करने के लिए कहना आसान नहीं है जिसमें देना और लेना शामिल है।

बड़ी संख्या में कानूनी कारण ऐसे हैं कि एक पक्ष मुकदमेबाजी को लंबा करने में रुचि रखता है और केवल दूसरा ही त्वरित सुनवाई चाहता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस दृष्टिकोण से राज्य मुकदमेबाजी की अनावश्यक लागतों और अर्थहीन प्रशासनिक संकलनों से भी बच जाएगा। सरकार को मुकदमेबाजी की कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागतों को वहन करना पड़ता है। प्रत्यक्ष लागत की श्रेणी में, अदालत और वकीलों की फीस, अभियोजन का खर्च और आकस्मिक मामलों में भाग लेने का खर्च शामिल है।

अप्रत्यक्ष लागत विवादों में शामिल समय की हानि और प्रत्ययी व्यय की बढ़ती लागत है। सरकारी मुकदमों की कुछ श्रेणियाँ हैं जिनमें लोक अदालतें रचनात्मक भूमिका निभा सकती हैं। ऐसी श्रेणियों में से एक भूमि अधिग्रहण से उत्पन्न होने वाला मामला है। जिन लोगों की जमीन का अधिग्रहण किया जाता है, उनमें आम तौर पर गरीब ग्रामीण होते हैं जो मध्यम वर्ग से संबंधित होते हैं। जब उनकी जमीन उनके हाथों से छीन ली जाती है तो स्वाभाविक रूप से उन्हें जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाना चाहिए।

सरकारी मुकदमों की एक अन्य श्रेणी जिसे लोक अदालतों के माध्यम से संभाला जा सकता है, वह है अनुशासनात्मक कार्यवाही। इस श्रेणी में कई कार्यवाहियां ऐसी हैं जिनमें विवाद का कारण बहुत सरल है, पृष्ठभूमि भी बहुत स्पष्ट है और इसके बारे में कोई विवाद नहीं है, लेकिन पक्ष खुले तौर पर सामने नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन समय का कारक जटिलताओं को जमा करता रहता है। उदाहरण के लिए पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के साथ। श्रम विवाद एक अन्य श्रेणी है जिसमें लोक अदालतें अच्छी भूमिका निभा सकती हैं। औद्योगिक विवाद विधानों के तहत उपलब्ध सुलह और सौहार्दपूर्ण निपटान का तंत्र जो आम तौर पर लोक अदालतों में अनावश्यक संघर्षों को हल करने में सफल रहा है, कुछ सेवा अनुशासनात्मक मामलों में भी एक बेहतर रूप होगा।

लोक–अदालतों के अन्य रूपः

1. **मिनी लोक अदालतः** उप–जिला स्तर पर और गांवों में कानूनी सहायता शिविर या लोक–अदालतें मंचों की तरह हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से ग्रामीण और आदिवासी लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं और विवादों को पूरी तरह से हल करने के लिए उनके दरवाजे पर हैं।

2. **ग्राम न्यायालयः** ये स्वशासन की इकाइयाँ हैं जैसे कि ग्राम पंचायत प्रशासन एक राज्य का विषय है इसलिए राज्य पंचायत राज संस्थान अधिनियम लागू होते हैं, जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम न्यायालयों को जन्म देते हैं।

3. **मध्यस्थता केंद्रः** ये मध्यस्थता केंद्र वर्ष 1983 में तमिलनाडु कानूनी सहायता और सलाह बोर्ड में शुरू किए गए थे।

4. **महिलाओं के लिए केंद्रः** महिलाओं और उनकी विशेष समस्याओं को विशेष दर्जा देना तमिलनाडु राज्य ने विशेष रूप से महिलाओं के लिए ऐसे केंद्र शुरू करके महिला मध्यस्थता केंद्रों पर जोर दिया और उनका विस्तार किया, उनकी भूमिका वैवाहिक समस्याओं से निपटना है। वे महिलाओं से जुड़े विवादों को स्थापित करने में भी मदद करते हैं। वे महिलाओं की रातों को बढ़ावा देते हैं पारिवारिक मामलों पर विशेष ध्यान देते हैं; ए) स्वैच्छिक एजेंसियां बी) पेशेवर।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.53
Volume 4, Issue 4, June 2024

5. देश के विभिन्न हिस्सों में मोबाइल लोक अदालतें भी आयोजित की जाती हैं जो इस तंत्र के माध्यम से विवादों के समाधान को सुविधाजनक बनाने के लिए विवादों को हल करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं।

निष्कर्षतः कह सकते हैं कि धन दावों के निपटान में लोक अदालत बहुत प्रभावी है। विभाजन के मुकदमे, हर्जाने और वैवाहिक मामलों जैसे विवादों को भी लोक अदालत के समक्ष आसानी से निपटाया जा सकता है, क्योंकि इन मामलों में देने और लेने के दृष्टिकोण के माध्यम से समझौते की गुंजाइश अधिक होती है। लोक अदालत दीवानी मामलों (विवाह और पारिवारिक विवादों सहित) और शमनीय आपराधिक मामलों को उठा सकती है।

पहली बार 1999 में गुजरात में लोक अदालत का आयोजन किया गया था। यह एक ऐसा मंच है जहाँ पंचायत पर या कानूनी अदालत में मुकदमेबाजी से पहले के स्तर पर लंबित मामलों का निपटारा किया जाता है। उन्हें कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया है।

इस अधिनियम के तहत, लोक अदालतों द्वारा दिए गए निर्णय को दीवानी अदालत का मामला माना जाता है और यह सभी पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी है और इस तरह के फैसले के खिलाफ कोई अपील किसी भी अदालत के समक्ष नहीं होती है। यदि पक्ष लोक अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं तो वे मंजूरी की अदालत में जाकर मुकदमा शुरू करने के लिए स्वतंत्र हैं।

संदर्भ स्रोत :–

[1]. https://nalsa.gov.in/lok-adalat.

[2]. https://mpslsa.gov.in/docs/act_rules/Lok%20Adalat%20Scheme.pdf

[3]. https://en.wikipedia.org/wiki/Lok_Adalat.

[4]. https://blog.ipleaders.in/lok-adalats-india-speedy-justice/.

[5]. S. K. Sarkar, Law Relating to Lok Adalats and Legal Aid: Being Commentary on the Legal Services Authorities Act, 1987 with Central & State Rules,(Oriented Publishing, Ist Edn., 2004).